(207)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा
जिला रीवा (म0प्र0)

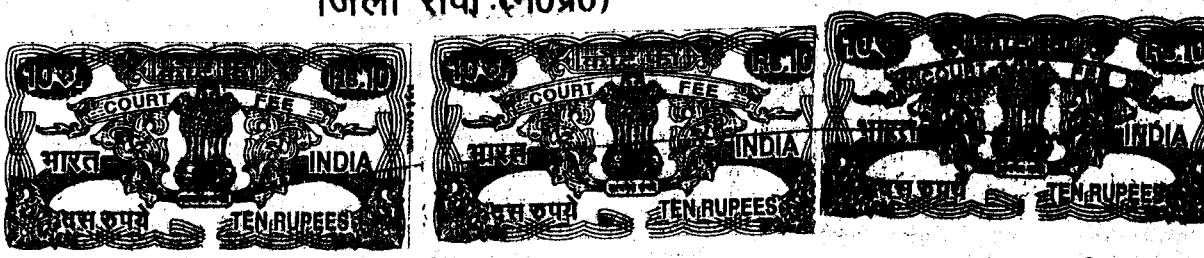

P3·301

R 5301-II/16

शीला पुत्री संत कुमार दुबे,उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0) ———**निगरानीकर्ता**

बनाम

1— श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी स्व0 भगवानदास ताम्रकार,

2— प्रहलाद ताम्रकार तनय स्व0 भगवानदास ताम्रकार

दोनो का पेशा व्यापार, दोनो निवासी जानकी पार्क लोहिया मार्ग, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

3— अशोक कुमार तनय संत कुमार दुबे, निवासी ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0) ———**रेस्पाडेन्टगण**

08-7-16

निगरानी विरूद्ध निर्णय एवं आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के अपील प्रकरण क0—1381/अपील/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 12/05/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

2— यह कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता शीला, रेस्पाडेन्ट क0—3 अशोक कुमार की सगी बहन है, प्रार्थी/निगरानीकर्ता व रेस्पाडेन्ट क0—3 के पिता संत कुमार दुबे जब अपनी भूमियों का विभाजन किया तब उन्होने अपनी पुत्री प्रार्थी/निगरानीकर्ता शीला को ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा स्थित आ0ख0क0—1142/2 रकबा 0.227 हे0 बटनवारा में हिस्से के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5301–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–5–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1381/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12–5–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी अपर आयुक्त ने इस आधार पर अपील प्रस्तुत की कि तहसीलदार ने अपने ही आदेश दिनांक 06–11–09 को संहिता की धारा 32 के आवेदन पर बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिये 14 माह बाद अपने पूर्वादेश को दिनांक 10–1–11 के द्वारा निरस्त किया है, जबकि अनावेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण आदेश दिनांक 06–11–09 से स्वीकृत किया गया था। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा किसी न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं होने से वह अंतिम हो गया था। तहसीलदार द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के आधार कय करके तहसीलदार के समक्ष नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया था। रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय नामांतरण करने के लिए बाध्य है।	

आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय से उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र को शून्य घोषित कराने के लिए वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी उचित प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश की रिव्यू अनुमति भी वरिष्ठ न्यायालय से नहीं ली गई थी इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की है। अपर आयुक्त के आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य